11-02-17

राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त सहित अधिवक्ता जी०एस० निगम उप०। प्रकरण आरोप तर्क/अपराध विवरण हेतु नियत है।

अभियुक्त की ओरं से वाहन क्रमांक एम0पी0—30 आर—1088 का पंजीयन की छायाप्रति प्रस्तुत की। मूल से मिलान किया गया जिससे दर्शित है कि उक्त वाहन दिनांक 17.10.14 से पंजीकृत है।

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय हैं। अतः संक्षिप्त विचारण प्रांरभ किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धार 283 भा०दं०सं० एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130/170 के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरिचत कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए 1500/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास भगताया जावे।

RPG-73-Forms-24-6-16-3,00,000 Forms.

Order Sheet [Contd]

Case No. 7.9). 17.01 20.00.

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये। जप्तसुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो। प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाले।

Judicial Magistrate Firstoffals
Gohad distt. Bhind (McP.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 1500 / — रूपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6890 रसीद क0 53 दी गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

Judicial Magistrate First Class
Cohad distt.Bhind (M.P.)

2/10/0

1500